

Helpline no.-(+91)-7597122440



जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय

मदाऊ, भांकरोटा-मुहाना लिंक रोड, जयपुर, (राज.) - 302026

■ वेबसाईट : www.jrrsanskrituniversity.ac.in ■ ई-गेल - jrrsu@yahoo.com ■ टेलीफ़ोन: 0141 - 2850564

डी.लिट. नियम - 2020

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर विद्यावाचस्पति

(डी.लिट.) उपाधि के नियम - 2020

जगद्गुरुरामानन्दाचार्यराजस्थानसंस्कृतविश्वविद्यालय, जयपुर निम्नलिखित नियम के आधार पर विद्यावाचस्पति (डी.लिट.) उपाधि प्रदान करेगा -

1. अहंता-

- (क) जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर की विद्यावारिधि उपाधि या विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या मानित विश्वविद्यालय से तत्समक्ष अनुसन्धान उपाधि संस्कृत के विविध विषय में प्राप्त होनी चाहिए।
- (ख) अभ्यर्थी द्वारा अपने विषय में उच्चस्तरीय दो ग्रन्थों का प्रकाशन एवं कम से कम पाँच शोधपत्रों का प्रकाशन होना चाहिए, जिनकी संस्तुति क्षेत्र के उत्कृष्ट - विद्वानों द्वारा की गई हो।
- (ग) अभ्यर्थी विद्यावारिधि - उपाधि के न्यूनतम पाँच वर्ष के अनन्तर विद्यावाचस्पति-उपाधि के लिए आवेदन कर सकता है।

2. विद्यावाचस्पति उपाधि हेतु नियम - विद्यावाचस्पति उपाधि हेतु अभ्यर्थियों के दो प्रकार हो सकते हैं -

1. विद्यावाचस्पति उपाधि के पंजीकरण हेतु संस्कृत भाषा में प्रकाशित ग्रन्थ पंजीकरण हेतु प्रस्तुत कर सकता है, जो पंजीकरण की तिथि से कम से कम 03 वर्ष पूर्व प्रकाशित हो चुका हो। यदि इस प्रकार का ग्रन्थ स्वीकृत होता है, तो विश्वविद्यालय उक्त उपाधि के लिए उस प्रकाशित ग्रन्थ का परीक्षण उपाधि हेतु पंजीकरण के लिए कर सकेगा।
2. अभ्यर्थी विद्यावाचस्पति उपाधि के लिए पंजीकरण हेतु नये विषय के रूप में किसी विषय का चुनाव कर सकता है अथवा अप्रकाशित पाण्डुग्रन्थ को संस्कृत भाषा में निबद्ध समीक्षात्मक पढ़ति के आलोक में समीक्षात्मक संपादन पंजीकरण हेतु प्रस्तुत कर सकता है। यदि इस तरह के विषय का पंजीकरण स्वीकृत किया जाता है, तो उसे विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत किसी प्रतिष्ठित शोध निर्देशक के मार्गनिर्देशन में कम से कम 03 वर्ष में उक्त कार्य को पूर्ण करना होगा। विशेष परिस्थिति में इस उपक्रम को 02 वर्ष के लिए और भी बढ़ाया जा सकता है।

2. 3. शोधं निर्देशक की योग्यताएँ-

- (1) 10 वर्ष के अनुभव के साथ जो विद्यावाचिक्षित (पीएच.डी.) उपाधि प्राप्त हो।
- (2) न्यूनतम 05 शोधार्थियों का मार्गदर्शन का अनुभव प्राप्त हो।
- (3) न्यूनतम 10 साल का शैक्षणिक अनुभव प्राप्त हो।

3. प्रवेश प्रक्रिया -

- (क) जगद्गुरुरामानन्दाचार्यराजस्थानसंस्कृतविश्वविद्यालय, जयपुर विद्यावाचस्पति उपाधि हेतु प्रवेश के लिए शैक्षणिक वर्ष के प्रारम्भ में एक सूचना प्रसारित करेगा। तदुपरान्त अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा।
- (ख) अभ्यर्थी अपनी अपेक्षित अर्हता का उल्लेख करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क एवं अपेक्षित प्रमाण पत्रों के साथ पंजीकरण हेतु आवेदन करेगा।
- (ग) अभ्यर्थी अपने प्रस्तावित विषय की संक्षिप्तिका की 05 प्रतियाँ प्रतिज्ञा पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा, जिसमें निर्धारित मापदण्ड के आधार पर यह घोषित करेगा कि प्रस्तावित शोध योजना किसी ग्रन्थ या विषय की नई व्याख्या या अप्रकाशित / प्रकाशित पाण्डु ग्रन्थ का समीक्षात्मक संपादन है।

शोध संक्षिप्तिका निर्माण हेतु निम्नलिखित बिन्दु ध्यातव्य हैः-

1. अनुसन्धानस्य सर्वेक्षणम्
(पूर्णानुसन्धानस्य सर्वेक्षणं स्वीकृतकार्यस्य नवीनता च)
2. समाग्रीसंकलनश्रोतांसि
3. अनुसन्धानप्रविधिः
4. प्रस्ताविताध्यायवर्गीकरणम्
5. ग्रन्थसूची (वर्णानुक्रमानुसारम्) लेखक-सम्पादक-प्रकाशक-प्रकाशनस्थलम्-प्रकाशनवर्षसहितम् (अन्तर्राष्ट्रीयस्तर पर स्वीकृत मापदण्ड के अनुसार)

4. निर्धारित मापदण्ड-

आवेदन पत्रों की जाँच निम्नलिखित पर्यवेक्षण समिति द्वारा होगी-

1. कुलपति (अध्यक्ष)
2. सम्बद्ध संकायाध्यक्ष (सदस्य)
3. विद्यापरिषद् का एक प्रतिनिधि (सदस्य)
4. विश्वविद्यालय के दो वरिष्ठ आचार्य (सदस्य)
5. कुलपति द्वारा मनोनीत दो बाह्य विशेषज्ञ (सदस्य)
6. शोध विभागाध्यक्ष (संयोजक सदस्य)

कुलपति की अनुपस्थिति में कुलपति द्वारा मनोनीत वरिष्ठ आचार्य अध्यक्षता करेगा। यह समिति शोध प्रबन्ध और अभ्यर्थी की अर्हता के विषय में परामर्श देगी। आवेदन पत्र की पूर्णता एवं वैधता की स्थिति में आवेदन पत्र शोध मण्डल के समक्ष विद्यावाचस्पति उपाधि के पंजीकरण की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। समिति का सदस्य यदि स्वयं अभ्यर्थी है तो वह इस जाँच समिति का सदस्य नहीं हो सकता।

5. शोध प्रबन्ध की भाषा संस्कृत ही होगी।
6. शोध प्रबन्ध के मूल्यांकन के लिए विभागाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त जाँच विषय विशेषज्ञों के नाम एवं शोध शोध निर्देशक 05 विषय विशेषज्ञों के नाम अर्थात् कुल 10 विषय विशेषज्ञों के नाम शोध मण्डल के द्वारा स्वीकृत होने के उपरान्त कुलपति द्वारा 03 परीक्षक नियुक्त कये जाएँगे। शोध निर्देशक न होने पर सम्बद्ध संकायाध्यक्ष द्वारा 05 विषय विशेषज्ञों के नाम दिये जाएँगे।
7. शोध प्रस्ताव का पर्यवेक्षण शोध मण्डल द्वारा होगा, जिसका गठन निम्नलिखित है-
 1. कुलपति (अध्यक्ष)
 2. सम्बद्ध संकायाध्यक्ष (सदस्य)
 3. विद्यापरिषद् का एक प्रतिनिधि (सदस्य)
 4. विश्वविद्यालय के दो वरिष्ठ आचार्य (सदस्य)
 5. कुलपति द्वारा मनोनीत दो बाह्य विशेषज्ञ (सदस्य)
 6. शोध विभागाध्यक्ष (सदस्य सचिव)

कुलपति की अनुपस्थिति में कुलपति द्वारा मनोनीत व्यक्ति शोध-मण्डल के उपवेशन की अध्यक्षता कर सकेगा, आवश्यकता होने पर शोध मण्डल मार्गनिर्देशक / विभागाध्यक्ष को भी परामर्श के लिए आमन्त्रित कर सकेगा। समिति के सदस्यों का कार्यकाल 02 वर्ष का होगा।

कुलपति महोदय द्वारा 03 परीक्षक नियुक्त किये जाएँगे।

शोध प्रबन्ध की 04 प्रतियाँ एवं 02 सी.डी. के साथ (यूनिकोड फोटों में) शैक्षणिक अनुभाग के पास प्रस्तुत करनी होगी। शैक्षणिक अनुभाग पत्रावली के द्वारा शोध प्रबन्ध को परीक्षा विभाग में भेजेगा।
8. शोध प्रबन्ध के लिए निम्नलिखित अपेक्षाएँ -
 - (क) यह एक ऐसा गुण दोष विवेचित विशिष्ट शोध कार्य होना चाहिए, जिसमें या तो तथ्यों का अनुसन्धान हो अथवा सैद्धान्तिक तथ्यों की नवीन व्याख्या की गयी हो। दोनों प्रकरणों में आलोचनात्मक परीक्षण एवं तन्त्रिःसृत दृढ़ निर्णय अनुसन्धान की क्षमता का स्पष्ट सूचक होना चाहिए।
 - (ख) भाषा और विषय प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से शोध प्रबन्ध उत्कृष्ट होना चाहिए।
9. शुल्क -
अभ्यर्थी को विद्यावाचस्पति प्रवेश के लिए आवेदन शुल्क रु.-5,000/- का डी.डी. (कुलसचिव, जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर के नाम) / विश्वविद्यालय परिसर में स्थित इण्डियन बैंक में चालान द्वारा जमा कराना होगा तथा सम्पूर्ण पाठ्यक्रम शुल्क रूपये- 1,00,000/- मात्र सहित शोधप्रबन्ध की चार प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होगी।
10. (क) प्रत्येक परीक्षक अपना प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र पर प्रेषित करेंगे। प्रत्येक परीक्षक शोधप्रबन्ध की विशेषताओं के विषय में अपनी आलोचनात्मक टिप्पणी के अतिरिक्त यह स्पष्ट रूपेण प्रकट करेगा कि--
 1. शोध प्रबन्ध विद्यावाचस्पति उपाधि हेतु स्वीकृत किया जाना चाहिए।

३८,६

540 (9)

अथवा

2. शोध प्रबन्ध अस्वीकृत किया जाना चाहिए।

अथवा

3. संशोधन हेतु संस्तुत।

11. यदि केवल एक परीक्षक शोध प्रबन्ध को स्वीकृति दे देता है तथा अन्य दो परीक्षक निरस्त करते हैं तो ऐसी स्थिति में शोध प्रबन्ध निरस्त माना जाएगा। यदि दो परीक्षक स्वीकृति देते हैं एक निरस्त करता है तो चौथे परीक्षक के पास परीक्षणार्थ भेजा जाएगा, जिसकी नियुक्ति कुलपति द्वारा पूर्व स्वीकृत सूची से की जाएगी। चतुर्थ परीक्षक के द्वारा उपाधि हेतु शोध प्रबन्ध के स्वीकृत किये जाने पर शोध प्रबन्ध स्वीकृत माना जाएगा।

यदि एक या एक से अधिक परीक्षक संशोधन के लिए कहते हैं तो शोध प्रबन्ध संशोधन के लिए भेजा जाएगा। संशोधन की संस्तुति करते समय यह आवश्यक होगा कि परीक्षक संशोधन के लिए अभ्यर्थी के लिए संशोधनीय बिन्दुओं एवं दिशा का स्पष्ट निर्देश और तथ्यों का उल्लेख करें। अतः अभ्यर्थी को निर्णय की सूचना की तिथि से एक वर्ष के भीतर परीक्षकों द्वारा निर्दिष्ट दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए शोध प्रबन्ध का संशोधन करके पुनः प्रस्तुत करना होगा। संशोधित शोध प्रबन्ध पुनः उक्त परीक्षकों के पास भेजा जाएगा। संशोधित शोध प्रबन्ध पुनः संशोधन हेतु मान्य नहीं होगा।

12. शोधार्थी को वाक्परीक्षा के लिए उपस्थित होना अपेक्षित होगा। परीक्षक मण्डल में एक वाक्परीक्षक होगा।

13. यदि वाक्परीक्षा का परीक्षक संतुष्ट है, तो उसका प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु विद्यापरिषद् के समक्ष संस्तुति हेतु रखा जाएगा। विद्यापरिषद् सर्व सम्मति से की गयी संस्तुतियों को ही स्वीकार करेगी तथा अनुसन्धान केन्द्र विद्यावाचस्पति उपाधि प्रदान करने की घोषणा करेगी। इस सम्बन्ध में परीक्षा -विभाग अनुसन्धान केन्द्र एक विज्ञप्ति जारी करेगा और तदन्तर आयोजित दीक्षान्त समारोह में उपाधि प्रदान की जाएगी।

14. वाक्परीक्षा का स्थान जरारासंविवि, जयपुर होगा किन्तु किसी विशिष्ट प्रकरण में कुलपति वाक्परीक्षा के लिए अन्य स्थान की अनुमति भी प्रदान कर सकते हैं।

15. विद्यावाचस्पति उपाधि हेतु शोध प्रबन्ध का मूल्यांकन करने वाले प्रत्येक परीक्षक को वित्त समिति द्वारा पारित मानदेय देय होगा।

16. उपर्युक्त नियमों में किसी भी नियम के संशोधन या परिवर्धन के अधिकार कुलपति के पास सुरक्षित होगा।

विशेष-

- विद्यावाचस्पति उपाधि अधिनियम 2020 से अभिहित होगा तथा कार्यपरिषद् द्वारा प्रस्तावित दिनांक से प्रभावी माना जाएगा।
- यथा समय आवश्यक होने पर नियमों में संशोधन / परिवर्तन का अधिकार विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् में निहित होगा।